2007 का विधेयक संख्यांक .

[दि टैक्सैशन लाज (अमेंडमेंट) बिल, 2007 का हिंदी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अध्याय 2

केन्द्रीय विक्रय कर

धारा 6 का संशोधन ।

2. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-- 1956 का 74

"(2) उपधारा (1) या उपधारा (1क) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी माल के विक्रय से या तो एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचलन हुआ है या ऐसा विक्रय एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल के संचलन के दौरान उस माल की हक दस्तावेजों के अंतरण द्वारा किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को ऐसे माल की हक दस्तावेजों के अंतरण द्वारा किए गए ऐसे संचलन के दौरान, कोई पश्चात्‌वर्ती विक्रय, यदि माल धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट वर्णन का है तो इस अधिनियम के अधीन कर से छूट प्राप्त होगा :

परंतु ऐसा कोई भी पश्चात्‌वर्ती विक्रय इस उपधारा के अधीन कर से छूट प्राप्त तब तक नहीं होगा, जब तक कि विक्रय करने वाला व्यौहारी ,--

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा , जिससे माल खरीदा गया था, सम्यक् रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, जो विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्ररूप में हो और जिसमें विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों ; और

(ख) यदि पश्चात्‌वर्ती विक्रय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को किया जाता है, तो धारा 8की उपधारा (4) में निर्दिष्ट घोषणा,

विहित प्राधिकारी को विहित रीति से और विहित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के लिए अनुज्ञात करे, न दे दे :

परंतु यह और कि माल के पश्चात्‌वर्ती विक्रय की बाबत पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट घोषणा देने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि,--

(क) ऐसे माल का विक्रय या क्रय समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणतः कर से छूट प्राप्त है या साधारणतः ऐसी दर पर जो तीन प्रतिशत से निम्नतर है या ऐसी कम दर पर जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की जाए, कर के (जो चाहे कर या फीस या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) अधीन रहते हुए है ; और

(ख) ऐसा पश्चात्‌वर्ती विक्रय करने वाला व्यौहारी, पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि ऐसा विक्रय उस स्वरूप का है जैसा इस उपधारा में निर्दिष्ट है ।" ।

धारा 7 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा *(2क)* में "धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 8 की उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,--

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं

रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक व्यौहारी, जो अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उपधारा *(3)* में निर्दिष्ट वर्णन के माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को विक्रय करता है, इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी होगा, जो उसके आवर्त के तीन प्रतिशत होगा या समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय विधि के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर पर, इसमें जो भी कम हो, होगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के अधीन कर की दर को कम कर सकेगी ।

(2) किसी व्यौहारी द्वारा उसके आवर्त पर संदेय कर, जहां तक आवर्त या उसके किसी भाग का संबंध उपधारा (1) के अंतर्गत न आने वाले अंतर्राज्यिक व्यापार या सेवा के अनुक्रम में माल के विक्रय से है, समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय विधि के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर पर होगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यौहारी इस बात के होते हुए भी कि वह वास्तव में उस विधि के अधीन इस प्रकार दायी नहीं हो सकेगा, समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यौहारी समझा जाएगा ।" ;

(ख) उपधारा (3) के आरंभिक भाग में "उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट माल" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,--

"उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल,-" ;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) उपधारा (1) के उपबंध अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी विक्रय को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी, उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे माल विक्रीत किया गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्ररूप में सम्यक् रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न दे दे :

परंतु घोषणा विहित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के लिए अनुज्ञात करे, दे दी गई हो ।"

(घ) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) में "या सरकार" शब्दों तथा "या उपधारा (2)", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का, जहां-जहां भी वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (क) में "धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 8 की उपधारा (4) " शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे । धारा 9 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) में "प्रमाण पत्र या" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 10 का संशोधन ।

धारा 10क का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (क) में "धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 8 की उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 14 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 14 के खंड (ix) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क

धारा 4 का लोप ।

9. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) विधेयक, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 का लोप किया जाएगा । 1957 का 58

प्रथम अनुसूची का संशोधन ।

10. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2401, 2402 और 2403 और उनके अधीन उपशीर्षों और टैरिफ मदों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

द्वितीय अनुसूची का लोप ।

11. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल के विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 ('के.वि.क. अधिनियम') के उपबंधों के अधीन उद्गृहीत किया जाता है । केन्द्रीय विक्रय कर संघ सूची की प्रविष्टि 92क के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्गृहीत किया जाता है, किन्तु वह संविधान के अनुच्छेद 269 के उपबंधों के आधार पर उन राज्यों को समनुदेशित किया गया है, जिनके भीतर कर उद्ग्रहणीय है । केन्द्रीय विक्रय कर प्रारंभकर्ता राज्य में उद्ग्रहणीय है, अर्थात् वह राज्य जहां से माल का संचलन प्रारंभ होता है और ऐसे राज्य द्वारा पूर्णतः संगृहीत और विनियोजित किया जाता है । केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के आधार पर राज्यों द्वारा प्रशासित है ।

2. केन्द्रीय विक्रय कर, जो स्रोत आधारित कर है, मूल्य वर्धित कर (जो एक लक्ष्य आधारित कर है) से असंगत है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विक्रय कर के परिणामस्वरूप कर का प्रपतन (अर्थात् कर पर कर) होता है क्योंकि यह मूल्य वर्धित कर के विरुद्ध रिबेट योग्य नहीं है । इन कारकों को ध्यान में रखते हुए यह सर्वसम्मति हो गई है कि केन्द्रीय विक्रय कर चरणबद्ध किया जाना चाहिए । यह समेकित माल और सेवा कर (मा.से.क.) के आरंभ करने के लिए पूर्व अपेक्षा भी है । जिसे सरकार 1 अप्रैल, 2010 तक आरंभ करने का प्रस्ताव करती है । केन्द्रीय विक्रय कर को चरणबद्ध करने के मुद्दे पर पिछले एक दशक से अधिक समय से विचार--विमर्श किया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा गठित राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति जुलाई, 2000 से इस दिशा में प्रयास करती रही है। अंततः, बैठकों की एक श्रृंखला के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच केन्द्रीय विक्रय कर के चरणबद्ध करने के लिए मार्गदर्शन के साथ ही इस मद्दे राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर के पैकेज पर भी सर्वसम्मति हो गई है ।

3. तदनुसार, 4 चरणों में केन्द्रीय विक्रय कर को चरणबद्ध करने का प्रस्ताव किया जाता है, अर्थात् केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 1 अप्रैल, 2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत, 1 अप्रैल, 2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत, 1 अप्रैल, 2009 से 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने और 31 मार्च, 2010 को कर को पारिणामिक रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है । समेकित राष्ट्रीय माल और सेवा कर (मा.से.क.) 1 अप्रैल, 2010 से आरंभ करने का प्रस्ताव किया जाता है । केन्द्रीय विक्रय कर को चरणबद्ध करने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर के लिए तय किए गए पैकेज में गैर -आर्थिक उपाय तथा आर्थिक उपाय होंगे ।

4. उपरोक्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के साथ ही अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के संशोधन अपेक्षित है । परिणामस्वरूप , केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का उपबंध करने के साथ ही राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से भविष्य में इसे और कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के लिए शक्तियों का उपबंध करने के लिए भी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है और घोषित माल को लागू दर 4 प्रतिशत से अधिक दर पर तंबाकू पर मूल्यवर्धित कर उद्गृहीत करने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने के लिए घोषित माल की सूची से तंबाकू का लोप करने के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

5. केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल से 1 प्रतिशत न्यागमन में से उनके अंश की हानि के बिना तंबाकू पर मूल्यवर्धित कर उदगृहीत करने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने

के लिए अधिनियम की प्रथम अनुसूची से तंबाकू का लोप करने के लिए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है । अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 4 और अधिनियम की द्वितीय अनुसूची का लोप करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **पी.चिदंबरम**
27 फरवरी, 2007

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, 1 अप्रैल, 2007 से केन्द्रीय विक्रय कर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है । प्रत्येक वर्ष कर की दर को 1 प्रतिशत तक और घटाया जाना प्रस्तावित है । इसके परिणामस्वरूप राज्यों को राजस्व हानि होगी । केन्द्रीय विक्रय कर की दर में 1 प्रतिशत कमी के कारण कुल राजस्व हानि 2007-08 के दौरान 6,350 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें आगामी वर्षों में केन्द्रीय विक्रय कर की दर में और कमी के कारण वृद्धि होगी । केन्द्रीय विक्रय कर के चरणबद्ध करने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को प्रतिकर के लिए तय किए गए पैकेज में गैर-आर्थिक उपाय तथा आर्थिक उपाय होंगे । इस प्रयोजन के लिए, इस मद्दे राज्यों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए वर्ष 2007 -08 के लिए 2,500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 4 का उपखंड (क) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में एक परंतुक जोड़ने के लिए है, जिसमें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस उपधारा के अधीन कर की दर को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त किया गया है । जिसे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सहमत मार्गदर्शन के अनुसार केन्द्रीय विक्रय कर को चरणबद्ध करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से प्रस्तावित किया गया है, जिसके अधीन केन्द्रीय विक्रय कर को प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत तक कम किया जाना है, अर्थात् 1 अप्रैल, 2007 से 4 प्रतिशत से 3 प्रतिशत, 1 अप्रैल, 2008 से 3 प्रतिशत से 2 प्रतिशत, 1 अप्रैल, 2009 से 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत और 31 मार्च, 2010 को अर्थात् समेकित माल और सेवा कर (मा.से.क.) के आरंभ करने के लिए प्रस्तावित तारीख के पूर्व कर का पूर्णतया समाप्त किया जाना । विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) से उद्धरण

*   *   *   *

6. (1) *   *   *   *   अंतर्राज्यिक विषयों पर कर के लिए दायित्व ।

(2) उपधारा (1) या उपधारा (1क) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी माल के विक्रय से या तो एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचलन हुआ है या ऐसा विक्रय एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल के संचलन के दौरान उस माल की हक दस्तावेजों के अंतरण द्वारा किया गया है, वहां ऐसे संचलन के दौरान ऐसे माल की हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा--

(क) सरकार को, या

(ख) यदि माल धारा 8 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट वर्णन का है, तो सरकार से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को,

किया गया कोई पश्चात्वर्ती विक्रय इस अधिनियम के अधीन कर से छूट-प्राप्त होगा :

परंतु ऐसा कोई भी पश्चात्वर्ती विक्रय इस अधिनियम के अधीन कर से छूट-प्राप्त होगा :

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिससे माल खरीदा गया था, सम्यक् रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, जो विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्ररूप में हो और जिसमें विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों ; और

(ख) यदि पश्चात्वर्ती विक्रय--

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को किया जाता है, तो धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ;

(ii) सरकार को, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, किया जाता है, तो धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र ;

विहित प्राधिकारी को विहित रीति से और विहित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के लिए अनुज्ञात करे, न ने दे :

परंतु यह और कि माल के पश्चात्वर्ती विक्रय की बाबत पूर्ववर्ती परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट घोषणा या प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि--

(क) ऐसे माल का विक्रय या क्रय, समुचित राज्य की विक्रय-कर विधि के अधीन साधारणतः कर से छूट-प्राप्त है या साधारणतः ऐसी दर पर, जो चार प्रतिशत से निम्नतर है, कर के (जो चाहे कर या फीस या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) अधीन रहते हुए है ; और

(ख) ऐसा पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाला व्यौहारी, पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि ऐसा विक्रय उस स्वरूप का है जैसा इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट है ।

*   *   *   *

व्यौहारियों का रजिस्टर किया जाना ।

7. (1) * * * *

(2क) जहां उस प्राधिकारी को, जिसे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की उचित वसूली के लिए या धारा 6 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक के खंड (क) में या धारा 6क की उपधारा (1) में या धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्ररूपों की उचित अभिरक्षा और उपयोग के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है, वहां वह, लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से, जो उसमें अभिलिखित किए जाएंगे, रजिस्ट्रीकरण-प्रमाणपत्र देने के लिए शर्त के रूप में यह अपेक्षा अधिरोपित कर सकेगा कि व्यौहारी उपर्युक्त सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी के लिए ऐसी प्रतिभूति, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, विहित रीति में और उतने समय के भीतर देगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

* * * *

अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रयों पर कर की दरें ।

8. (1) हर व्यौहारी जो अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में,--

(क) कोई माल सरकार को बेचेगा ; या

(ख) उपधारा (3) में निर्दिष्ट वर्णन का माल सरकार से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को बेचेगा,

इस अधिनियम के अधीन, उस तारीख से, जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, ऐसे कर का, जो, यथास्थिति, उसके आवर्त के दो प्रतिशत या समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन या मूल्यवर्धित कर अधिरोपित करने वाले उस राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन, ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर से, इनमें से जो भी कम हो, होगा, संदाय करने का दायी होगा :

परंतु किसी व्यौहारी द्वारा इस उपधारा के अधीन संदेय कर की दर उसके आवर्त का चार प्रतिशत तब तक बनी रहेगी जब तक दो प्रतिशत की दर इस उपधारा के अधीन प्रभावी नहीं होती ।

(2) किसी व्यौहारी द्वारा अपने आवर्त पर संदेय कर वहां तक, जहां तक कि आवर्त या उसका कोई भाग उपधारा (1) के अंतर्गत न आने वाले अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल के विक्रय से सम्बद्ध है--

(क) घोषित माल की दशा में, उस दर के दुगुनें से जो समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू हो, परिकलित किया जाएगा ; तथा

(ख) घोषित माल से भिन्न माल की दशा में, दस प्रतिशत की दर से या उस दर से, जो समुचित राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू हो, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, परिकलित किया जाएगा ;

(ग) ऐसे माल की दशा में, जिसका, यथास्थिति, विक्रय या क्रय समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणतया छूट प्राप्त है, शून्य होगा,

और खंड (क) या खंड (ख) के अधीन ऐसी किसी संगणना करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी व्यौहारी को, इस बात के होते हुए भी कि वह वास्तव में उस विधि के अधीन इस प्रकार दायी न हो, समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी व्यौहारी समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी माल के विक्रय या क्रय को समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणतः कर से छूट प्राप्त नहीं समझा

जाएगा यदि उस विधि के अधीन ऐसे माल का विक्रय या क्रय केवल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में या विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट प्राप्त है या ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर विनिर्दिष्ट प्रक्रमों में या माल के आवर्त के प्रति निर्देश से अन्यथा उद्गृहीत किया जाता है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट माल--

(ख) उस वर्ग या वर्गों का माल है जो माल को खरीदने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के रजिस्टर करने के प्रमाणपत्र में ऐसे माल के विनिर्दिष्ट है जो उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या खनन में, या बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है,

(ग) ऐसे पात्र या अन्य सामग्रियां हैं जो माल खरीदने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के रजिस्ट्रर करने के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हैं और जो विक्रयार्थ माल को पैक करने में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित पात्र या सामग्रियां हैं,

(घ) ऐसे पात्र या सामग्रियां हैं जो खंड (ख) में निर्दिष्ट रजिस्टर करने के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किसी माल या वर्गों के माल को पैक करने में या खंड (ग) में निर्दिष्ट रजिस्टर करने के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किन्हीं पात्रों या अन्य सामग्रियों को पैक करने में उपयोग में लाई जाती है ।

* * * *

(4) उपधारा (1) के उपबंध अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी विक्रय को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी,--

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा जिसे माल बेचा गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त किए गए विहित प्ररूप में सम्यक् रूप से भरी हुई और हस्ताक्षरित घोषणा, जिसमें विहित विवरण अंतर्विष्ट हों, या

(ख) यदि माल ऐसी सरकार को, जो रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, बेचा गया है तो उस सरकार के समयक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में सम्यक् रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र,

विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न ने दे :

परंतु यह तब जबकि खंड (क) में निर्दिष्ट घोषणा विहित समय के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जिसे वह प्राधिकारी पर्याप्त हेतुक के लिए अनुज्ञात करे, दे दी जाए ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निदेश दे सकेगी कि,--

(क) ऐसे माल या वर्गों के माल की बाबत, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन कोई भी कर किसी ऐसे व्यौहारी द्वारा, जिसके कारबार का स्थान उस राज्य में है, ऐसे किसी कारबार के स्थान से ऐसे किसी माल के उस विक्रय की बाबत संदेय नहीं होगा, जो उसने अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किया है अथवा यह कि ऐसे विक्रयों पर कर उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दरों में से निम्नतर ऐसी दरों पर, जो अधिसूचना में वर्णित की जाएं,

परिकलित किया जाएगा ;

(ख) माल के सभी विक्रयों या ऐसे वर्गों के माल के, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विषयों की बाबत, जो अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसे किसी व्यौहारी द्वारा जिसका उस राज्य में कारबार का स्थान हो या किसी ऐसे वर्ग के व्यौहारियों द्वारा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन कोई भी कर संदेय नहीं होगा अथवा ऐसे विक्रयों पर कर उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसी निम्नतर दरों पर, जो अधिसूचना में वर्णित की जाएं, परिकलित किया जाएगा ।

*　　*　　*　　*

कर और आस्तियों का उद्ग्रहण और सग्रहण ।

9. (1) अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किसी व्यौहारी द्वारा किए गए माल के विक्रयों पर चाहे ऐसे विक्रय धारा 3 के खंड (क) के या खंड (ख) के अंतर्गत आते हों, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किया जाएगा और इस प्रकार उद्गृहीत कर उस सरकार द्वारा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार उस राज्य में संगृहीत किया जाएगा जिससे माल का संचलन प्रारंभ हुआ था :

परंतु माल के एक राज्य से अन्य राज्य को संचलन के दौरान ऐसे विक्रय की दशा में, जो उसी माल की बाबत प्रथम विक्रय के पश्चात् वाला विक्रय है, और जो ऐसा विक्रय है जो धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत नहीं हे, वहां कर का उद्ग्रहण और संग्रहण--

(क) उस राज्य में किया जाएगा जिससे पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ने ऐसे माल के क्रय के संबंध में धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए विहित प्ररूप, यथास्थिति, अभिप्राप्त किया है या अभिप्राप्त कर सकता था ; और

(ख) उस राज्य में किया जाएगा जहां से पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाले अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ने ऐसा पश्चात्वर्ती विक्रय किया था ।

*　　*　　*　　*

शास्तियां ।

10. यदि कोई व्यक्ति,--

(क) धारा 6 की उपधारा (2) या धारा 6क की उपधारा (1) या धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणा, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह मिथ्या है, देगा ; अथवा

अभियोजन के बदले में शास्ति का अधिरोपन ।

10क. (1) *　　*　　*　　*

(2) किसी व्यौहारी पर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति धारा 9 की उपधारा (1) में उपबंधित रीति से भारत सरकार द्वारा,--

(क) ऐसे अपराध की दशा में, जो धारा 10 के खंड (ख) या खंड (घ) के अंतर्गत आता हो, उस राज्य में संगृहीत की जाएगी जिसमें माल का क्रय करने वाले व्यक्ति ने ऐसे माल के क्रय के संबंध में, धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए विहित प्ररूप अभिप्राप्त किया हो ;

*　　*　　*　　*

अध्याय 4

अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के माल

14. एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित माल अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के हैं,-- अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में कतिपय माल का विशेष महत्व का होना ।

*   *   *   *

(ix) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष सं0 2401.00 के अंतर्गत आने वाले अविनिर्मित तंबाकू और तंबाकू उच्छिष्ट, शीर्ष सं0 24.02 के अंतर्गत आने वाले तंबाकू के सिगार और चुरुट, उपशीर्ष सं0 2403.11 और 2403.21 के अंतर्गत आने वाले तंबाकू के सिगरेट और सिगरीला और उपशीर्ष सं0 2404.11, 2403.12, 2404.13, 2404.19, 2404.21, 2404.29, 2404.31, 2404.39, 2404.41 और 2404.50 के अंतर्गत आने वाला अन्य विनिर्मित तंबाकू ;

*   *   *   *

अतिरिक्त माल उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) से उद्धरण

*   *   *   *

4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि में से राज्यों को, उस वित्तीय वर्ष के दौरान उद्गृहीत और संगृहीत अतिरिक्त शुल्क के शुद्ध आगम के भाग के रूप में, द्वितीय अनुसूची के उपबंधों के अनुसार, ऐसी राशियां संदत्त की जाएंगी जैसी उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट है । अतिरिक्त शुल का राज्यों के बीच वितरण ।

*   *   *   *

प्रथम अनुसूची

[धारा 3(1) देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, ‘‘शीर्ष’’, ‘‘उपशीर्ष’’ और ‘‘अध्याय’’ से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के क्रमशः शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत हैं ।

2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के निर्वचन के नियम, उक्त अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, जहां तक हो सकें, इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे,--

शीर्ष सं0	उपशीर्ष सं0	माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
2401		**अविनिर्मित तंबाकू ; तंबाकू उच्छिष्ट**		
2401 10	-	तंबाकू, जिसमें डंडियां या कतरने नहीं हैं :	कि.ग्रा.	10%

2401 10 10	---	फ्लू उपचारित वर्जीनिया तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 20	---	धूप उपचारित देशी (नाटू) तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 30	---	धूप उपचारित वर्जीनिया तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 40	---	बुर्ले तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 50	---	बीडियों के विनिर्माण के लिए तंबाकू जिसमें डंडियां नहीं है	कि.ग्रा.	10%
2401 10 60	---	चबाने वाली तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 70	---	सिगार और चुरुट के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 80	---	हुक्का तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%
2401 20	-	तंबाकू भागतः या पूर्णतः डंडीयुक्त या छटी हुई:	कि.ग्रा.	10%
2401 20 10	---	फ्लू उपचारित वर्जीनिया तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 20	---	धूप उपचारित देशी (नाटू) तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 30	---	धूप उपचारित वर्जीनिया तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 40	---	बुर्ले तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 50	---	बीडियों के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 60	---	चबाने वाली तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 70	---	सिगार और चुरुट के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 80	---	हुक्का तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%
2401 30 00	---	तंबाकू उच्छिष्ठ	कि.ग्रा.	10%
2402		**तंबाकू या तंबाकू अनुकल्प के सिगार, चुरुट, सिगरीला और सिगरेट**		
2402 10	-	तंबाकूयुक्त सिगार, चुरूट और सिगरीला :	संख्या हजार में	कुछ नहीं
2402 10 10	---	सिगार और चुरूट	संख्या हजार में	कुछ नहीं

2402 10 20	---	सिगरीला	संख्या हजार में	कुछ नहीं
2402 20	-	तंबाकूयुक्त सिगरेट :	संख्या हजार में	कुछ नहीं
2402 20 10	---	60 मि.मीटर से अनधिक की लंबाई की फिल्टर सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	37 रू. प्रति हजार
2402 20 20	---	60 मि.मीटर से अधिक किन्तु 70 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	125 रू. प्रति हजार
2402 20 30	---	70 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें (जिनके अन्तर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मि.मीटर या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो अधिक हों)	संख्या हजार में	185 रू. प्रति हजार
2402 20 40	---	70 मि.मीटर से अधिक किन्तु 75 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें (जिनके अन्तर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मि.मीटर या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो अधिक हों)	संख्या हजार में	300 रू. प्रति हजार
2402 20 50	---	75 मि.मीटर से अधिक किन्तु 85 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें (जिनके अन्तर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मि.मीटर या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो अधिक हों)	संख्या हजार में	400 रू. प्रति हजार
2402 20 90	---	अन्य	संख्या हजार में	495 रू. प्रति हजार
2402 90	-	अन्य		
2402 90 90	---	अन्य	संख्या हजार में	कुछ नहीं
2403		**अन्य विनिर्मित तंबाकू**		
2403 10 10	---	हुक्का या गुड़ाकू तंबाकू	कि.ग्रा.	18%
2403 10 20	---	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि.ग्रा.	75%
	----	बीड़ी :		
2403 10 31	----	मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न	संख्या हजार में	1.40 रू. प्रति हजार
2403 10 39	---	अन्य	संख्या हजार में	3.50 रू. प्रति हजार
2403 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	18%
2403 10 99	--	अन्य		
2403 99 10	---	चबाने वाला तंबाकू	कि.ग्रा.	18%
2403 99 20	---	चबाने वाले तंबाकू से युक्त निर्मितियां	कि.ग्रा.	18%

2403 99 30	---	जर्दा सुगंध युक्त तंबाकू	कि.ग्रा.	18%
2403 99 40	---	नस्वार	कि.ग्रा.	18%
2403 99 50	---	नस्वार युक्त निर्मितियां	कि.ग्रा.	18%
2403 99 70	---	कार्तित तंबाकू	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
2403 99 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	18%

*   *   *   *

द्वितीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

अतिरिक्त शुल्क का वितरण

1 अप्रैल, 1995 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को, प्रथम अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित माल की बाबत उस वित्तीय वर्ष के दौरान उद्‌गृहीत और संगृहीत अतिरिक्त शुल्क के शुद्ध आगमों में से, उक्त आगमों के 2.203 प्रतिशत के बराबर राशि का, जो संघ राज्यक्षेत्रों से हुई मानी जा सकती है, काटकर, उतने प्रतिशत दिया जाएगा जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने उल्लिखित है :

परंतु यदि उस वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राज्य में प्रथम अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित माल के क्रय या विक्रय पर या उस राज्य की किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उनमें से किसी एक या अधिक पर कोई कर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष की बाबत इस पैरा के अधीन उस राज्य को कोई भी राशि तब तक संदेय नहीं होगी जब तक केंद्रीय सरकार, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निदेश न दे ।

सारणी

राज्य	**प्रतिशत**
(1)	**(2)**
आंध्र प्रदेश	7.820
अरुणाचल प्रदेश	0.104
असम	2.483
बिहार	7.944
गोवा	0.232
गुजरात	5.995
हरियाणा	2.366
हिमाचल प्रदेश	0.595
जम्मू-कश्मीर	0.856
कर्नाटक	5.744
केरल	3.740
मध्य प्रदेश	7.236

महाराष्ट्र	12.027
मणिपुर	0.197
मेघालय	0.188
मिजोरम	0.079
नागालैंड	0.137
उड़ीसा	3.345
पंजाब	3.422
राजस्थान	4.873
सिक्किम	0.053
तमिलनाडु	7.69
त्रिपुरा	0.286
उत्तर प्रदेश	14.573
पश्चिमी बंगाल	8.036

* * * *